to know whether that is at all going to be discussed in this House.

Shri Daji (Indore): I want to make the same suggestion which I made last time also. I was also told by the hon. Minister for Parliamentary Affairs that he would give due consideration to it. We have given a motion to discuss the question of prices. I would like to know whether we are going to discuss it sometime during this session.

Shri Satya Narayan Sinha: Sir, so many suggestions have been made.

Mr. Speaker: One was by Shri Bagri. He says that an assurance has been given that time would be found to discuss the law and order situation in Delhi.

Shri Satya Narayan Sinha: It is true that in the last session I had said like that. I would consult the Minister concerned, but since then much water has flowed down the Jumna. There is also the present situation in the country. (*Interruption*).

Mr. Speaker: The second suggestion was about the question of prices.

Shri Satya Narayan Sinha: We have discussed that in the other House. I will consult the Minister concerned, and if there is time I think we might discuss that here also before we disperse.

Shri Kamath is making this suggestion for the second or third time now. The Prime Minister knows about it. I will again convey to him the suggestion that has been made. I will also inform the House what he says and what is his reaction. About the Committee, Sir, it is for you to decide.

Mr Speaker: The statement made was that the Prime Minister has agreed to that.

Shri Satya Narayan Sinha: Agreed to what?

Shri Hari Vishnu Kamath: To the formation of a Parliamentary Committee.

Mr. Speaker: To the constitution of it.

Shri Satya Narayan Sinha: I do not know where he said it.

Mr. Speaker: He may make enquiries and give us a statement.

Shri Satya Narayan Sinha: Of course, my hon. friend, Shri Ranga's suggestion is something very novel. I do not know whether the Prime Minister has agreed to that also.

Shri Ranga: It is to be considered by you.

The Minister of Economic and Defence Co-ordination (Shri T. T. Krishnamachari): There is already a Consultative Committee.

Shri Frank Anthony (Nominated—Anglo-Indians): What Consultative Committee?

Mr. Speaker: Members are not satisfied with that. This has been the demand I do not know. The Minister for Parliamentary Affairs may find out the reaction and tell us.

12.09½ hrs.

WORKMEN'S COMPENSATION (AMENDMENT) BILL—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri C. R. Pattabhi Raman on the 29th November, 1962, namely:—

"That the Bill further to amend the Workmen's Compensation Act, 1923, be taken into consideration."

Shri H. C. Soy may continue his speech.

श्री ह० च० सोय (सिंहभूम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैं कह रहा था

[श्री ह० च० सोय]

कि जो मजदूर सीमेंट के कारखानों में लोडिंग और अनलोडिंग का काम करते हैं, उनको सीमेंट की धूल के बीच में रह कर काम करना पड़ता है । इसके अलावा सीमेंट के लिए लाइम निकालने के लिए जो मजदूर खानों में काम करते हैं, उनको भी धूल और लाइम की डस्ट में काम करना पड़ता है । इस वजह से इन मजदूरों में टी० बी० का इन्सीडेंस बहुत ज्यादा है । मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराए कि क्या इसको भी आकुपेशनल डिजीजिज की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है या नहीं ।

इसी तरह से बीड़ी मजदूरों की भी यह हालत है । देहातों में बीड़ी-मजदूर बड़ी दयनीय हालत में काम करते हैं । उनको सिर्फ़ ढिबरी या लालटेन का प्रकाश मिलता है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जरा बैठ जायें । हाउस में सब तरफ़ कुछ बहुत जरूरी बातें हो रही हैं, इसलिए पहले उनको सुन लेना चाहिए ।

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): It should apply to the Treasury Benches also.

Mr. Speaker: It applies to all sides. Now Shri Soy.

श्री ह० च० सोय : मैं कह रहा था कि बीड़ी-मजदूरों को जिस हालत में काम करना पड़ता है, उससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है । मैं चाहता हूं कि इस बारे में भी जांच की जाये ।

काइनाइट एक ऐसी चीज है, जो कि गर्मी के दिनों में बहुत सख्त गर्म हो जाती है । जब मजदूर काइनाइट पत्थर के टुकड़ों को हाथ से पकड़ते हैं, तो वे उनके हाथों में घुस जाते हैं । यह देखा गया है कि जो मजदूर यह काम करते हैं, उनको एक भयानक गर्मी और काइनाइट टुकड़ों से एक ख़ास तरह की बीमारी हो जाती है । इसलिए माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इन मजदूरों के बारे में भी जांच की जाये और यह पता लगाया जाये कि इसको भी आकुपेशनल डिजीजिज की लिस्ट में दर्ज किया जा सकता है या नहीं ।

आजकल रेलवेज में और डैम्ज वग़ैरह पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है । यह देखा गया है कि रेलवे के मजदूर बहुत कम मजदूरी पर सब से कड़ा काम करते हैं, मगर उन्हें जान-बूझ कर टेम्पोरेरी रखा जाता है । इस वर्कमैन्ज कम्पेन्सेशन एक्ट के अन्तर्गत केवल उन्हीं मजदूरों को कम्पेन्सेशन मिलेगा, जो कि पर्मानेंट होते हैं और उनको एक विशेष तरीके से कम्पेन्सेशन दिया जायेगा । इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि उन टेम्पोरेरी मजदूरों को, जो कि रेलवेज वग़ैरह में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, पर्मानेंट किया जाये, ताकि उन्हें भी उचित कम्पेन्सेशन मिल सके ।

यह देखा जाता है कि कम्पेन्सेशन के मामलों पर जो कम्पेन्सेशन आफ़िसर विचार करते हैं, वह अक्सर ज़िले में एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं । आप जानते हैं कि एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपनी नार्मल ड्यूटीज और दूसरे कामों की वजह से काफ़ी बिजी रहते हैं । इस वजह से कम्पेन्सेशन के केसिज का फ़ैसला करने में काफ़ी देर हो जाती है । उदाहरण के लिए मैं कहूंगा कि हमारे सिंहभूम जिले में कम्पेन्सेशन के इतने ज्यादा केसिज पेंडिंग हैं कि एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो कि कम्पेन्सेशन आफ़िसर का काम करता है, उनको कर नहीं पाता है । इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि कम्पेन्सेशन आफ़िसर की पोस्ट पर एक अलग आफ़िसर को नियुक्त करना चाहिए और एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वह काम नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह बहुत बिजी रहता है ।

हम देखते हैं कि बहुत से ग़रीब आदमी कम्पेन्सेशन के अपने केस दायर करते हैं, लेकिन अपने केस को ठीक तरह से रखने के लिए वे वकील को पैसा नहीं दे सकते हैं। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा भी है, उन लोगों को जो कम्पेन्सेशन मिले, उसका कुछ हिस्सा उनको तुरन्त मिलना चाहिए। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि ग़रीब से ग़रीब क्लास के लोगों को गवर्नमेंट लीगल एड दे, ताकि वे ठीक तरह से अपने केस को चला सकें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सिंहभूम में जो इतने ज्यादा कम्पेन्सेशन के केसिज पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके बारे में जांच की जाये और उनको जल्दी डिस्पोज आफ़ करने का प्रयत्न किया जाये।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस अमेंडमेंट को लाकर जो कदम उठाया है, वह एक अच्छा कदम है, लेकिन सरकार को इस पर ही संतोष नहीं करना चाहिए, बल्कि अन-आरगनाइज्ड इंडस्ट्रीज में और कई दूसरी इंडस्ट्रीज में भी जो इस तरह की आकुपेशनल डिजीजिज हैं, उनकी जांच की जानी चाहिए, ताकि वहां काम करने वाले मजदूरों को भी कम्पेन्सेशन का फ़ायदा मिले।

Mr. Speaker: If I have to call out 'Order, order' after every minute, it would not be a good record that would be made in the Debates. I am sorry, I have to repeat it. My appeals are not heeded to and I have seen that in every row—there is no exception—hon. Members continue to talk with each other without caring as to what is happening inside the House. They do not take notice even when the whole thing stops; they are so busy. Shri Dubey.

Shri R. G. Dubey (Bijapur North): Mr. Speaker, Sir, I extend my sincere support to the measure that is before the House. Yesterday there was a reference to the ILO Conference. I believe, since 1934 there was no ILO Conference and there were no decisions so far as my knowledge goes.

This measure is in the right direction because we want to establish a welfare state in this country and our ultimate goal is the establishment of a socialistic pattern of society. Naturally, therefore, all our laws, particularly with reference to labour in the factories etc., ought to be in that direction. Slowly we must improve the conditions so that a socialist economy is brought into being.

There are roughly two or three aspects underlying this measure. The rates of compensation are covered by it. There are various categories of diseases which are also covered here. Now, some time back I had an opportunity to visit Dandeli, a new industrial township in Mysore State, and I found that there were some peculiar kind of troubles developing in that factory. There is a ferro-manganese plant there and I saw that there is an open hearth. There was no covering or anything of that sort. It was a very crude type of open hearth system. On making close enquiries I found that the workmen were suffering from a peculiar kind of trouble sometimes developing into a kind of paralysis of the limbs slowly. I am told that the then Labour Minister, Shri Subramaniam, also went there and he submitted a report to the health authorities as also to the Government of India. I do not know whether this particular case or category is also covered by the present measure. I was told that hundreds of workmen were disabled there and slowly their health was going down. This is really a serious matter.

The hon. Member there referred to the cement factories and all that. In my own District, Bijapur, in Bagalkot there is a cement factory and I know that there is a continuous nuisance of smoke. I am told that the smoke which goes unprevented, unchecked and unregulated is slowly

[Shri R. G. Dubey]

causing injury to the health not only of the workmen but also of persons living in the neighbourhood. In countries of the West also this problem is there. I was in London some time last year and I attended the Commons debate. I saw that problems that arise out of smoke and dust in the City of London were referred to there. It is not that even the Western countries have been able to solve them though their industrial hygiene is advanced. I believe, some such effort is necessary in our country also. We must see that such problems, particularly in factories where smoke, dust and such things slowly cause injury to the health of the workmen, are attended to. I am sure, these cases are covered. However, I would request the hon. Minister in charge to consider these things carefully.

Now the rates of compensation are doubled, but somehow I have a feeling, though I am not an authority on the compensation law that they are still low. Take for example, a person who draws Rs. 10 as pay. He gets Rs. 500 in case of death and Rs. 700 or so in case of a permanent disability. My impression is that though it is a liberal measure, considering the various facilities in the past, they are still low in the volume of compensation that we are offering to various categories. A person who draws Rs. 400 as pay, will get Rs. 4,500 in case of death and Rs. 6,500 or so in case of a permanent disability. I am not sure whether what I am saying is correct. But, I feel that in regard to the rates, though it is undoubtedly a liberal measure considering the past attainments, I would beg of the hon. Minister to consider whether the rates of compensation could not be still liberalised.

Finally, I would urge that there should be a careful enquiry made in regard to the factories where there is smoke and dust to see how these could be eliminated. With these words, I lend my support to this measure.

Shri Mohammad Elias (Howrah): Mr. Speaker, while supporting this Bill, I want to make a few remarks with regard to the working of this Act. First of all, in this Bill also, some amendments are proposed with regard to occupational diseases. In the occupational diseases, only a few cases have been mentioned. For instance, in Part A and Part B of Schedule III, mention has been made of poisoning by lead, its alloys or compounds or its sequelae excluding poisoning by lead tetra-ethyl, poisoning by phosphorous or its compounds or its sequelae, poisoning by mercury, and like this. These are a few items which will be considered as occupational diseases. From my personal experience I can say that there are many such occupational diseases as a result of which workers lose their 100 per cent working capacity. In these cases, they are not considered as accidents and the workers are not paid any compensation. There was a case in the Calcutta High Court in which the Calcutta High Court also gave a ruling in favour of the worker who used to work in a foundry, in a furnace and after work for more than 15 years in the furnace, he gradually lost his eye sight and became completely blind. In such cases, there is no mention as to which cases will be considered as occupational diseases. In the engineering factories, most of the foundry workers suffer from loss of eye sight. In the chemical factories also, many workers suffer from dysentery and tuberculosis and at the same time they lose eye sight also. These are not considered as occupational diseases. My request is, as Shri D. C. Sharma suggested, every industry must be properly examined to see which diseases are occupational diseases and how the workers lose their working capacity, and if they lose their working capacity, they must be given proper compensation. There should be a committee which can go into all the industries to see which diseases are occupational diseases.

In regard to the working of this Act, just now, one of my friends from Singhbhum narrated his difficulty that the workers do not get proper compensation. If any worker meets with any accident, from the beginning, the employers try to hide the cause of the accident. From the medical practitioner they will try to get a certificate that this accident has not taken place inside the factory, that he has met with the accident outside the factory, beyond the working hours. In this way, they try to deprive the workers of their compensation. If the workers are sent to hospital, after they come back from the hospital, they are not given their employment and their compensation also is not paid. If there is a strong trade union movement and the case is taken to the Workmen's Compensation Court, there also there is such a peculiar system that the workers cannot get the proper benefits from this Act. For, there are many agents of the lawyers who go to the different industrial centres, find out such cases and bring the cases up, and they make a certain agreement with the workers that when they are given compensation they shall have to pay about 30 or 40 per cent of that compensation to the agents; the result is that the lawyers and the agents take part of the compensation, and the workers hardly get 15 or 20 or 25 per cent of the compensation awarded to them. The insurance companies also try to deprive the workers very much.

In this connection, I would suggest to the Ministry to improve the machinery to look after the workers' interests, and see that the workers get the benefits to which they are entitled; at the same time, the workers should also be given proper legal benefits and aid so that they can fight the case in the court and get proper compensation.

Another point that I would like to suggest to the Ministry is regarding preventive measures. Our country is resorting to very fast industrialisation, and with the growth of industrialisation, we must try our best to devise improved methods to prevent accidents. But we find that even the minimum preventive measures have not been adopted by the employers. Recently, about a month ago, I had been to some countries in Europe, and I have found there that in every industry, there are many institutes which are working constantly on how accidents can be prevented. For instance, the workers who work before a 5000 volts electric furnace and so on are sufficiently protected from the heat; water curtains and other insulated curtains are there so that no heat is passed on to the workers, and the workers working before the furnace are completely shielded from the heat. But in our country, there is no such institute through which research can be made to prevent accidents.

Here, the managements do not comply with the rules and regulations under the Factories Act to provide even the minimum necessary measures for prevention of accidents. I can say from my personal experience in my constituency, Howrah, which is one of the biggest industrial centres, that every day new factories are coming up, small, big and medium factories. But they do not pay any heed to the measures for the prevention of accidents. They do not adopt even the minimum necessary measures to prevent accidents under the Factories Act. If the workers make any complaint to the Factories Inspector, some inspector goes there to the factory; but he does not go inside the factory to inspect properly whether all the rules are being complied with by the management; the inspector just goes to the room of the manager and sits in his office for some time and then goes away, and the management does things according to its own will.

That is why I suggest that Government should see that proper and improved methods are devised to prevent accidents inside the factory.

[Shri Mohammad Elias]

These are some of the points which I want to place before the hon. Minister for his consideration. With these few words, I welcome this Bill.

Shrimati Lakshmikanthamma (Khammam): I welcome the Workmen's Compensation (Amendment) Bill, 1962, brought forward by Government.

From the very beginning our Government has been the champion of the cause of labour, and has all the time been persuading the management to give better treatment to the labour, provide them better amenities and so on and so forth.

Mr. Speaker: The hon. Member may resume her seat for a minute. I have to make an announcement.

12.29 hrs.

RE: CALLING-ATTENTION-NOTICE

Mr. Speaker: I might inform hon. Members that the Prime Minister would be making a statement at about one o'clock. There was a calling-attention-notice about the communique that has appeared in the papers that India and Pakistan shall be having talks. I have admitted that notice, and the Prime Minister has agreed to make a statement. He will be coming here and making a statement on it at about one o'clock.

12.30 hrs.

WORKMEN'S COMPENSATION (AMENDMENT) BILL—*contd.*

Shrimati Lakshmikanthamma: The very fact that this Bill has been brought before this House in spite of the emergency shows how much interest Government is evincing in problems of labour. By this amendment, they have increased the rate of compensation that will be payable to the workers on account of death or disablement. Government cannot make arrangements to provide security to the families of the affected workers for all the time, but the small amount that will be given to their families will be a form of security for some time at least, after the death of the worker.

I feel that while filling up the vacancy caused by the death or disablement of a worker, preference should be given to the wife, son or near relatives of the worker. This will be of some help to the family which has lost its earning member.

As many Members have mentioned, I had also during election time the experience of going through labour areas and the dwelling places of workers. I found a number of TB cases in coal mines. I do not know whether work in coal mines has anything to do with this disease. The patients were lying down unable to go and work. I also learnt that people working in mica mines contract a certain type of disease, the exact name of which I forget now. Then I do not know whether the incidence of cancer is connected with working in *biri* factories. So all these things which render the workers invalid should be looked into.

Then sometimes there is inordinate delay in payment of compensation. I know of an instance. In an industry, a young girl was employed and asked to operate a dangerous machinery. In the process, her hand was cut. It is more than two years and still no compensation has been paid. I do not know what exactly is the reason for the delay.

While welcoming this Bill, I feel Government should advise the managements of industries to take preventive measures to protect the workers. I know of cases where adequate care is not taken to protect workers operating dangerous machinery. The workers are expected to remain at a

distance from the dangerous machinery. But this precaution is not observed by the managements. One day when we were discussing with some trade union leaders, suddenly we received the news that a worker was torn to pieces by a dangerous machinery. This was due to the neglect of the management in taking adequate safety measures. So far as this human aspect is concerned, I am sure there is neglect on the part of the managements. This should be remedied. Also they are using raw hands. They are supposed to employ people who know how to handle the machinery. But just because they could get a young boy or an ignorant person on less wages they employ them and the result is that these persons suffer injury to their limbs. Sometimes even death occurs in the process. So an inquiry should be made into the nature of the accidents taking place. It should be found out whether they could have been avoided and the persons responsible for the negligence should be punished. Trade union leaders also should not yield to the influence of managements in such cases, and should always stand by the workers and try to get them compensation and protection against dangerous machinery.

I think Members from all parties have welcomed this Bill that has been brought before the House. It is not possible to increase the compensation several times as desired by some Members, because we have to keep in view the resources also. So, I think for the present this Bill is welcome and has the support of the whole House.

श्री कछवाय (देवास) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल यहां रखा गया है, इस का मैं समर्थन और हार्दिक स्वागत करता हूं ।

इस बिल के अन्दर जो बातें दी गई हैं, वे बहुत अच्छी हैं । इस सम्बन्ध में कुछ और बातें हैं जिन की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । फैक्ट्रीज में या मिलों में जो एक्सीडेंट होते हैं, उन के लिये फैक्ट्री या मिल मालिक ही वही जिम्मेवार होते हैं । वे लोग मुआवज़ा देने में धांधली करते हैं, अपने दलाल छोड़ कर मजदूरों को बहकाते हैं, किसी प्रकार से उन को लालच देकर अपने घरों में बिठवा देते हैं और उन में फूट डलवाने की कोशिश करते हैं । अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो मजदूर से लिखवा लिया जाता है कि मेरी गलती से हुआ है । ऐसी बातें नहीं होनी चाहियें । बहुत सी ऐसी फ़ैक्ट्रीज भी हैं, बहुत सी ऐसी मिलें भी हैं, जिन में मजदूरों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है । उन के स्वास्थ्य की रक्षा का भी समुचित प्रबन्ध होना चाहिये ।

इन एक्सीडेंट्स के फलस्वरूप जो मजदूरों को मुआवज़ा दिया जाता है, वह आज की महंगाई को देखते हुए काफी नहीं समझा जा सकता है । अगर किसी की इस तरह से एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो इतना सा पैसा दे देने से ही काम नहीं चल सकता । मुआवज़े की राशि और भी बढ़नी चाहिये । आज के समय को देखते हुए किसी मजदूर को जो पैसा मिलता है, उस सूरत में जब वह अपना कार्य करते करते अपंग हो जाता है, वह बहुत कम है, वह भी बढ़ना चाहिये ।

मिलों के अन्दर या फ़ैक्ट्रीज़ के अन्दर जो एक्सीडेंट होते हैं, उन के बारे में गम्भीरतापूर्वक यह सोचा जाना चाहिये कि आखिर वे होते क्यों हैं । अगर आप देखेंगे तो आप को पता चलेगा कि मजदूरों से ज्यादा काम लिया जाता है, मशीनों की ठीक प्रकार से देखरेख का प्रबन्ध नहीं रहता है, मशीनें खराब होती हैं तथा मजदूरों पर काम करने के लिये दबाव डाला जाता है और उन को कहा जाता है कि तुम ने उत्पादन ज्यादा करना है । इस प्रकार से वहां पर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं । मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो चीजें हैं, उन पर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

[श्री कछवाय]

साथ ही साथ फैक्ट्रीज या मिलों में काम करने के कारण मज़दूरों का जो स्वास्थ्य खराब होता है, उस की तरफ भी आप का ध्यान जाना चाहिये । सरकार की तरफ से मिलों और फैक्टरियों पर कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि गैस से उन का जो स्वास्थ्य खराब होता है, वह न होने पाये । इतनी गैस नहीं उड़नी चाहिये जिस से उन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े । ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि उन का स्वास्थ्य कम खराब हो ।

अब मैं बीड़ी मजदूरों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । ये मजदूर रात रात भर बैठ कर बीड़ियां बनाते हैं और चूंकि लाइट कम होती है, इस वास्ते उन की आंखें जल्दी खराब हो जाती हैं और उन के जीवन की रोशनी चली जाती है । इस के सम्बन्ध में भी जो मुआवजा दिया जाता है, वह भी बहुत कम होता है वह भी बढ़ना चाहिये ।

मैं आप के सामने नागदा मिल, जोकि मध्य प्रदेश में है, का उदाहरण पेश करना चाहता हूं । इस मिल को मैं ने स्वयं जा कर देखा है । यह प्रोसिंग मिल है । इस में तेज़ाब इस्तेमाल होता है और गैस उड़ती रहती है । जो वहां पर गैस की भाप उड़ रही थी, उससे जब मैं वहां गया तो मुझे कै हो गई । इस हालत में उस फैक्ट्री के अन्दर कोई भी मजदूर पांच साल से अधिक काम नहीं कर सकता है । लेकिन हमारी सरकार का इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं गया है और न इस तरह की चीज के बारे में कोई कानून बना है, कि इस की रोकथाम की जावे । कोई भी मजदूर अथवा कोई बाहर का व्यक्ति अगर इस मिल को देखने जाता है फैक्ट्री को देखने जाता है तो वह कै करता हुआ बाहर आता है । मैं ने स्वयं अपना अनुभव आपके सामने रखा है ।

मैं समझता हूं कि कानून बनाना तो बहुत अच्छा है लेकिन वह लागू होता है या नहीं होता है और अगर लागू होता है तो कितनी फैक्ट्रीज अथवा मिलों पर लागू होता है, यह भी देखना आप का फ़र्ज़ है । यह कानून उन फैक्ट्रीज पर भी लागू होना चाहिये जहां पर पांच आदमी या दस आदमी या पंद्रह आदमी भी काम करते हैं । अगर इस कानून को मिल मालिक तथा फैक्ट्री मालिक अमल में नहीं लाते हैं और छानबीन के बाद यह बात सिद्ध हो जाती है तो उन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिये और उन को ऐसा दण्ड दिया जाना चाहिये कि दूसरे उस से सबक ग्रहण कर सकें । अगर ऐसा किया गया तो मजदूर और मजदूर में पक्षपात नहीं बरता जायेगा और जो मुआवजा उन को दिया जाना है, वह तुरन्त दे दिया जायेगा । मैं स्वयं एक मिल में काम करता हूं, मैं ने अक्सर देखा है, मेरा इस प्रकार का अनुभव है, कि यदि मजदूर ठीक प्रकार से उत्पादन नहीं करता है तो उसको दंड दिया जाता है, उसके ऊपर अनेक प्रकार के ऐक्शन लिये जाते हैं । कम्पनी इस बात को नहीं देखती कि उस की मशीन खराब थी, वह उस मजदूर पर ही दबाव डालती है कि वह इस को मान ले कि उस की ही गलती से एक्सिडेंट हुआ है । अगर मशीन की कोई गड़बड़ी होती है तो उस पर विचार नहीं किया जाता । मजदूरों के क्षेत्र में अधिकांश लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, इसलिये मिल के दलाल जो होते हैं वह उन को समझाते हैं कि मालिक जो बात कहता है उस को मान लो क्यों कि उसी में तुम्हारा फायदा है, और अगर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा नुक्सान होगा । ऐसे बहुत से केसेज होते हैं जिन में मजदूरों का पैसा भी बहुत लग जाता है मामले को आगे बढ़ाने में । मैं स्वयं एक केस लड़ रहा था जिस में एक मजदूर का हाथ मशीन से कट गया था । उस मुकदमें में ७०० रु० खर्च आया और मजदूर को केवल १२०० रु० मिले इसलिए कोर्ट में जाने की गुंजाइश मजदूर को है वह नहीं होनी चाहिये । सारे फैसले जो मजदूरों के नुमाइन्दे होते हैं और

जो मिलमालिकों के नुमाइन्दे होते हैं, वह बैठ कर तय करें ऐसी व्यवस्था होनी चाहियें ।

मैं कहना चाहता हूं कि यह जो कानून बन रहा है उस को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिये । अगर मजदूर लोग काम करते करते जख्मी हो जाते हैं तो उन के इलाज का प्रबन्ध भी मिल को करना चाहियें । ऐसी बहुत सी फैक्ट्रीज हैं जो कि मजदूर के इलाज का पैसा उन की तनख्वाहों से काट लिया करती है । इस तरह के कई उदाहरण मेरे सामने हैं । यह प्रथा खत्म होनी चाहिये अगर कोई मजदूर जख्मी हो जाये तो उस के इलाज का पैसा उस के वेतन में से नहीं काटा जाना चाहिये ।

श्री रा० शि० पाण्डेय (गुना) : अध्यक्ष महोदय, यह जो कम्पेन्सेशन बिल हमारे सामन है उस का मैं समर्थन करता हूं। अगर आप देश के तमाम उद्योगों, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और मिल्स का एक बार सिंहावलोकन करें तो आप को एक ऐसी स्थिति के दर्शन होंगें जिससे स्पष्ट पता चलता है कि हमारी लेबर की स्थिति मिल के अन्दर क्या है और मिल के बाहर क्या है । किन परिस्थितियों में एक्सिडेंट्स होते हैं, उस के बाद किस तरह से मजदूरों के साथ व्यवहार होता है, इंडस्ट्री के अन्दर एफिशिएन्सी कैसे हो, यह सब बातें इस के साथ आती है । जब एक्सिडेन्ट्स होते हैं उस के बाद कम्पेन्सेशन का सवाल होता है ।

आज से १५ या २० वर्ष पहले की बात है जब कि लेबर लेजिस्लेशन्स का इम्प्लिमेंटेशन बड़ी सख्ती से नहीं होता था । मिलों में जो सुपीरियर हेड्स होते थे वह जिस वक्त डिपार्टमेंटल विजिट करते थे उस वक्त उन के हाथ में एक बेंत होता था, या यों कहिये कि एक छाता होता था । अगर उन का टेम्पर वहां लूज हुआ तो लेबर के साथ सीधा व्यवहार या तो चांटे का होता था या फिर छाता या बेंत का होता था । धीरे धीरे जब हम लेजिस्लेशन की तरफ बढ़े और थोड़ा सा एनलाइटनमेंट हुआ सोसायटी में तब यह प्रैक्टिस कम हुई । लेकिन हम ने दखा कि लेबर की जो फंडामेंटल डिगनिटी है, जिसका सम्बन्ध एक ह्यमन एप्रोच से है, जिसका सम्बन्ध व्यक्ति से व्यक्ति के व्यवहार से है, वह हम ने अभी तक प्राप्त नहीं किया है । और यह दुःख की बात है । मैनेजमेंट सिर्फ यह समझता है कि मजदूर हमारे यहां केवल काम करता है, सैंकड़ों और हजारों मजदूर फैक्टरी प्रिमिसेज में आते हैं और आठ घंटे काम कर के चले जाते है । मैंने विदेशों में कुछ फैक्ट्रीज को देखा है खास कर जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस में । वहां मैंने देखा कि लेबर के साथ वहां कितना अच्छा व्यवहार होता है । इसी लिये सब से पहले जब सुपीरियर हेड डिपार्टमेंट में एन्टर होता है वैसे ही सभी उस को स्माइलिंगली वैलकम करते हैं । जिस वक्त फैक्ट्री में मशीन के सामने वह लोग काम करते हैं, उन को एक यूनिफार्म दी जाती है । वह यूनिफार्म ऐसी होती है जिस से उन की एफिशियन्सी मालूम होती है, उन की बाडी उन की फिंगर्ज़्स, उनकी नजर इस ढंग से डिस्प्ले होती है जिस में कि उन के घायल होने की, इंजर होने की कोई संभावना न हो । यहां पर एक यूनिफार्म दी जाती है । अगर लेबर की हेल्थ की तरफ आप जायें तो वहां पर कैन्टीन होती है, स्विमिंग पूल होता है, उन की हैल्थ का एग्जामिनेशन होता है, और अगर किसी वजह से, मसलन ज्यादा काम करने की वजह से, कोई मजदूर दुबला हो जाता है तो उस को विटैमिन्स दिये जाता है । यह एप्रोच है जो उन लोगों को इन्च्यूज करती है, उन के अन्दर जान पैदा करती है, शरीर के अन्दर एक शक्ति पैदा करती है और वह काम के लिये इन्स्पायर होते हैं और मेहनत से काम करते हैं ।

हमारे यहां फैक्ट्रीज की क्या पोजीशन है ? हमारा लेबर से जो व्यवहार है उस में

[श्री रा० शि० पाण्डेय]

एक ह्यूमन टच नहीं है, एक ह्यूमन एप्रोच नहीं है। हम यह जानते है कि लेबर की एफिसिइन्सी बढ़नी चाहिये, हम मोर प्रोडक्शन का स्लोगन लगाते है, हमारे बड़े बड़े नेता लगाते हें, लेकिन फैक्ट्रीज के अन्दर जो ऐट्मासफिअर है, उस के अन्दर एक आदमी के साथ दूसरे आदमी का जैसा व्यवहार होना चाहिये वैसी एप्रोच हमारे देश में नहीं है। अगर किसी फैक्ट्री के वर्कर ने अच्छा काम किया है तो हम को उस को रेम्युनरेट करना चाहिये। लेकिन हम तो एक शब्द थैंक यू का कहने में भी अथवा धन्यवाद देने में भी बड़े कृपण है, जिस से कि यह माइकालोजिकल सेन्स पैदा होता है कि हम ने जो श्रम किया है, जो काम किया है, उसे रिकग्नाइज किया गया है और जो हमारा सुपीरियर हेड या मैनजमेंट का आदमी आ कर हमें उस के लिये धन्यवाद देता है। इस कृपणता का परिणाम हुआ करता है कि लेबर डिप्रेस्ड एटमास्फिअर में काम करता है, टेंशन में काम करता है, और जब बाहर आता है तो उस के टनमेंन्टस भी गन्दे रहते है। वह स्लम्स में रहता है। एक बार पंडित जी कानपुर की एक स्लम एरिया को, जिस में लेबरर्स रहते थे, देख कर बहुत नाराज हुय और कहा कि मुझे बड़ा दुःख है कि इस तरह की लेबरर्स की कंडिशन है। क्यों न इस में आग लगा दी जाये मैं उन की भावना को समझ सकता हूं और उन्होंने ठीक कहा। उस एरिया में आग तो नहीं लगाई गई लेकिन स्लम को क्लिअर कर दिया गया वहां पर अच्छे मकान बनाये गये। यह वह ऐप्रोच है जिस की तहत हम यह करना चाहते हैं कि फैक्ट्री में लेबर और मैनेजमेंट में सेन्स आफ एक्स्प्लाटेशन न हो कर एक ऐसा पार्टिसिपेशन का आधार होना चाहिये जिस में लेबर एन्थ्यूज्ड फील करे और सोचे कि वह अपनी ड्यूटी को पूरा करता है या नहीं। हमारे यहां यह चीज नहीं है। अगर एक आदमी का शरीर घायल हुआ वो वह तो हुआ ही, लेकिन आदमी के अन्दर शरीर से भी भारी एक चीज होती है जिस को इमोशन या भावना कहते हैं। जो उस की भावना होती है उस के लिये कोई कन्पेन्सेशन नहीं हो सकता। अगर किसी आदमी को इन्सल्ट किया गया तो वह समझता है कि यह उस के काम का रिवार्ड है। जब उन लोगों के प्रति संवेदनशीलता की भावना नहीं दिखाई जाती तो नतीजा यह होता है कि लेबर लोग अपने स्थान पर डिमारलाइज हो जाते हैं, गिर जाते हैं, वे निरुत्साह होते हैं काम के लिये। इस के लिये हम को एक ठीक ऐप्रोच तैयार करनी चाहिये। खास कर इस इमर्जेन्सी के मौके पर जब हम यह बिल पेश करते हैं तो इस तरह की ऐप्रोच और एक रेशनलाइजेशन होना चाहिये, इतनी ह्यूमनिटेरियन ऐप्रोच होनी चाहिये, जिस में प्राणी मात्र की भावना बढ़े और हर वर्कर महसूस करे कि उसे काम करना है।

मिलों के अन्दर जब हम देखते हैं तो चाहे इंजीनिअरिंग फैक्ट्रीज हों, चाहे फाउंड्रीज, हों, लोह के स्माल पीसेज पड़े रहते हैं जो कि जब लेबर टेंशन में आता है तो लग जाते हैं और ब्लीडिंग होने लगती है तो न ऊपर से कुछ होता है और न नीचे से कुछ होता है। फाउंड्रीज में से अक्सर आग निकलती रहती है, खासकर केमिकल फैक्ट्रीज में, रेयान फैक्ट्रीज में जो गैसेज निकलती रहती हैं, उन के बारे में दुनियां की अच्छी फक्ट्रीज में रिसर्चेज होती हैं कि ऐटमास्फिअर को कैसे अच्छा रखा जाये ताकि लेबर के लंग्स को या बाडी को कोई चोट न लगे और मिलों के अन्दर सड़कें साफ हों। अगर मिलों में सड़कें साफ हों और हर प्रकार का इन्तजाम हो तो बड़ी एफिशिएन्टली काम हो सकता है। केमिकल फैक्ट्रीज में चिमिनयां होती हैं। दुनिया में माडर्न टेकनालोजी और माडर्न मशीनों के युग में यह सोचा जा सकते है कि यह गैसेज किस तरह से आसानी से ऊपर पास की जा सकती हैं जिस में कि लेबरर्स

के लंग्स खराब न हों। मान लीजिये कि एक लेबरर मर गया उस का कम्पेन्सेशन आप ने डबल कर दिया, उस की जो सैलरीज या वेजेज हैं उन को आप ने ३०० रु० से ४०० रु० कर दिया, ५०० रु० कर दिया, लेकिन जो मर गया उस का क्या लाभ होगा ? एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा कि महाप्रलय कब होगी। दूसरे ने जवाब दिया कि जब मैं मर जाऊंगा तब महाप्रलय होगी। ऐसी भावना के अन्तर्गत मैं कहना चाहता हूं कि आप ने लेबर के मरने के बाद जो कम्पेन्सेशन दिया वह तो ठीक किया, लेकिन वह तो मर गया। और मर क्यों गया? यह बड़ी भारी बुनियादी बात है जिस को हमें देखना है। कहीं वह इस लिये तो नहीं मर गया कि उस की हेल्थ खराब थी, उस का मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो सका या जो मिल या फैक्ट्री का मनेजमेंट अथवा प्रबन्ध था उस में कोई कमी थी ? मैं कहना चाहता हूं कि उस की यूनिफार्म अच्छी होनी चाहिये। हमारे यहां बहुत सी जगहों पर आज लेबर धोती पहन कर काम करता है और कुर्ता पहन कर काम करता है। मैं तो कहता हूं कि आज हमारे यहां एक डाइरेक्टिव निकलना चाहिये, जिस समय कि हम यह कम्पेन्सेशन बिल पास करने जा रहे हैं, कि सब जगह सिमिलर यूनिफार्म होनी चाहिये। हमारा एक ट्रापिकल कंट्री है इस में हाफ शर्ट या बनियाइन और जांघिया और एक अच्छा जूता पहन कर लेबरर काम कर सकता है। अगर हम इस तरह की तीन चीजें प्रेस्क्राइब कर दें कि यह यूनिफार्म होगी तो दुर्घटायें बहुत कम हो जायेंगी। जब लोग धोती और कुर्ता पहन कर काम करते हैं तो नतीजा यह होता है कि कहीं धोती फंस जाती है कहीं कुर्ता फंस जाता है, जूते के नीचे कीलें लगी होती हैं और अक्सर जगहों पर सीमेंट की रोड होती है, उस में वह फिसल जाता है और टांग टूट जाती है। इसी तरीके से जिस वक्त मिल प्रेमिसेस में लेबर आये तो उस के जूते में रबर सोल होना चाहिये। उसके लिये एक निकर होना चाहिये, उसके ऊपर एक कमीज होनी चाहिये। यह यूनीफार्म आप फैक्टरी वर्कर्स के लिये यूनीवरसली लागू कर दें और फिर देखें कि कैजुएलिटीज के फिगर कितने कम हो जाते हैं।

इसी तरह से मिल की बाहर की हालत का भी ध्यान रखा जाना चाहिये क्योंकि इस हालत में वह रहता है। मिल के भीतर और उस के बाहर की, दोनों हालतों को देखा जाये। अगर वह बाहर भी घायल होता है तो भी उसे कम्पेन्सेशन मिलना चाहिये। अगर किसी वर्कर की डैथ हो जाती है या वह परमानेन्टली डिसएबिल हो जाता है तो उस की फैमिली के हैड को, लड़के को या भाई को उसकी जगह अवसर देना चाहिये।

आज यह वक्त है कि लेबर के महत्व को पूरी तरह समझा जाए और यह न होना चाहिए कि उसको केवल मिल में काम करते वक्त अगर चोट लगे या उसकी मृत्यु हो तो उसके लिए कम्पेन्सेशन दिया जाए बल्कि अगर वह बाहर भी मरता है, तो चूंकि वह मिल में काम करता है इस लिए इस बात को एग्जामिन किया जाए कि वह किन हालात में मरा है और उसको कम्पेन्सेशन दिया जाए अगर यह समझा जाए कि मिल में काम करने के कारण उसकी मृत्यु हुई है।

श्री बैरवा (कोटा): अध्यक्ष महोदय, यह खुशी है कि हमारी सोई हुई गवर्नमेंट ने ३६ साल सोने के बाद महंगाई का सवाल करते हुए कम्पेन्सेशन बढ़ाने की तजवीज की है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं भी एक मजदूर हूं। हालांकि गवर्नमेंट ने समाजवाद का नारा लगाया है, लेकिन मजदूरों के साथ अब भी अच्छा बरताव नहीं किया जाता है और जो कम्पेन्सेशन बढ़ाने की तजवीज है उससे मजदूरों को कोई खास खुशी नहीं है बल्कि मजदूरों में बड़ी निराशा इससे

[श्री बैरवा]

फलेगी। मिसाल के तौर पर में आपको बताता हूं कि यह कानून सन् १९२३ में लागू किया गया था। उस वक्त खाने पीने की चीजें बहुत ही सस्ती थीं। जो चीज उस समय एक रुपए में आती थी वह आज आठ रुपए में आती है। पिछले ३९ सालों में काफी महंगाई बढ़ गयी है। जिस मजदूर को आज मृत्यु हो जाने पर १००० रुपया देने की तजवीज है उसको पहले ५०० रुपया दिया जाता था। उस समय उस उस ५०० रुपए की कीमत बहुत ज्यादा थी, आज के ५००० के बराबर थी। इसलिए में कहूंगा कि जहां पहले मजदूर को ५०० रुपया कम्पेन्सेशन मिलता था उसके स्थान पर उसको आज ५००० रुपया मिलना चाहिए क्योंकि महंगाई दस गुनी हो गयी है और बढ़ती जा रही है।

मिलमालिक जैसे टाटा, बिड़ला वगैरह मजदूरों से मालामाल हो गए तो फिर मजदूर को इतनी कम रकम क्यों दी जा रही है। मरने के बाद उसके लिए इतना कम कम्पेन्सेशन क्यों रखा जा रहा है, इससे ज्यादा देना चाहिए।

गवर्नमेंट ने अब तजवीज की है कि काम करने वालों को जो बीमारी या गैस से पाइजनिंग हो जाता है जिससे वह नाकारा हो जाता है या उसको नौकरी से हटना पड़ता है, या उसको नौकरी से हटने के बाद बीमारी हो जाती है उसके लिए उसको कम्पेन्सेशन दिया जाएगा। यह बड़ी अच्छी बात है। में इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ ही में गवर्नमेंट को बताना चाहता हूं कि ये बातें कागज पर ही रह जाती है, उन पर अमल नहीं किया जाता क्योंकि प्राइवेट मिलों के मालिक धनवान है और डाक्टर भी उन्हीं कम्पनियों के होते है जो उनसे दबे हुए होते है। इसलिए में चाहता हूं कि मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से डाक्टरों का एक बोर्ड बना दिया जावे जिसका कम्पनियों के मालिकों से कोई ताल्लुक न रहे।

जो आपने शिड्यूल बनाया है वह मन्थली वेजेज के आधार पर बनाया है। मजदूरों को जो इन वेजेज के अलावा एलाउंस और बोनस दिया जाता है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर तनखाह दस रुपया दिखायी या बीस रुपया या तीस रुपया दिखायी जाती है और महंगाई ५० या ६० रुपया दिखायी जाती है। उसके मुताल्लिक कम्पेन्सेशन नहीं रखा है। यह तो सिर्फ आंसू पोंछना है। गवर्नमेंट और प्राइवेट कम्पनीज तनखाह २० या २५ रुपए दिखाती है और महंगाई ज्यादा दिखायी जाती है जिसे तनखाह में नहीं मिलाया जाता। इससे वर्कमैन को काफी नुकसान हुआ है।

ये जो लेबर आफिसर वैलफेयर आफिसर होते है ये कम्पनियों से दबे होते है और मजदूरों के हित में कभी नहीं बोलते। इसलिए एक रीजनल बोर्ड होना चाहिए जो इनकी शिकायत सुन सके।

जब तक कम्पेन्सेशन का फैसला न हो जाए तब तक मरने वाले के परिवार को कुछ न कुछ एडवांस जरूर दे दिया जाए। और अगर यह बात इस बिल में नहीं आती तो उसको लाना चाहिए।

अगर सरकार मजदूरों का हित चाहती है तो इस कानून को बड़ी सख्ती के साथ सरकारी और गैर सरकारी कम्पनियों पर लागू करना चाहिए, और एसे कानून का काम आंसू पोंछना नहीं होना चाहिए बल्कि कानून के उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए और वर्तमान कम्पेन्सेशन की रकम में और बढ़ोतरी की जाए जिससे मजदूर वर्ग का भला हो सके और जो मजदूर फैक्टरियों

में काम करने के कारण अन्धे, लंगड़े यह बहरे हो जाते हैं उनको किसी फाटक पर या किसी बगीचे वगैरह में लगा दना चाहिए ताकि उनकी मजदूरी का सहारा हो सके ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य से आज मैं यह कहना चाहता हूं कि वह तीन चार बार बोल चुके हैं। आयन्दा में उनको पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा ।

12.56 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

PROPOSED TALK BETWEEN INDIA AND PAKISTAN ON KASHMIR

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Under Rule 197. I call the attention of the Prime Minister to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:—

"The reported news about the proposed talk between India and Pakistan to resolve the Kashmir dispute peacefully."

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru): Sir, as the House is aware, we have recently had visits from Mr. Duncan Sandys, Minister of Commonwealth Relations in the United Kingdom, and Mr. Averell Harriman, Assistant, Secretary of State in the United States. We had long discussions with them about the Chinese invasion of India and our need for various kinds of equipment to meet this attack on our country. I am glad to say that these discussions were fruitful and we hope to get much of the equipment required from the United States and the United Kingdom as well as some other friendly countries. I am grateful to these countries for the help they are giving us in this crisis that we have to face.

In the course of my talks with Mr. Duncan Sandys and Mr. Harriman the question of our relations with Pakistan was raised. I told them that it had always been our policy to have friendly and cooperative relations with Pakistan because this seemed to us essential not only because of geography, but because of our joint history, culture, language and the many bonds that had arisen between us during the long years. We had always aimed at that and we are sure that this is the only proper relationship that should subsist between two neighbouring countries and peoples which have had such close bonds in the past. The question of Kashmir was referred to and we explained to them our position in regard to it and pointed out that anything that involved an upset of the present arrangement would be very harmful to the people of Kashmir as well as to the future relations of India and Pakistan. We were, however, always ready to discuss this, as other matters, with representatives of the Pakistan Government at any level desired. In fact, we had suggested meetings at various levels in the course of the last few months, but no positive response had come from them.

Mr. Sandys and Mr. Harriman appreciated our position, but still suggested that a friendly discussion about these matters between India and Pakistan might be helpful. I was agreeable to this, as indeed we have been ourselves suggesting some such meeting for sometime past. I explained to them again, however, our basic principles and how it was not possible for us to bypass or ignore them.

Mr. Sandys thereafter went to Pakistan and came back yesterday after consultation with President Ayub Khan suggesting that a joint statement should be issued on behalf of both the Governments stating that a renewed effort should be made to resolve the outstanding differences so as to enable India and Pakistan to live side by side in peace and friendship, further stating